

प्रेस नोट थाना रामगढताल दिनांक 19-04-2021

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त 10 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय उ०नि० श्री विशाल कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी आजाद चौक मय टीम को छेड़खानी के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया था। उ०नि० श्री विशाल कुमार उपाध्याय मय टीम द्वारा लगातार अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि अभियुक्त के तलाश के क्रम में वादी मुकदमा द्वारा रूस्तमपुर ढाला के पास खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया गया यह वही अभियुक्त है जिसने मेरी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया है। इस सूचना पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.04.2021 को समय करीब 10.30 बजे रूस्तमपुर से अभियुक्त कृष्णा शुक्ला पुत्र सुधीर शुक्ला निवासी ग्राम तिवारीपुर बुजुर्ग भटोली थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर हा०मु० मिर्जापुर कालोनी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 150/2021 धारा 354,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. कृष्णा शुक्ला पुत्र सुधीर शुक्ला निवासी ग्राम तिवारीपुर बुजुर्ग भटोली थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर हा०मु० मिर्जापुर कालोनी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 0150/2021 धारा 354,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री विशाल कुमार उपाध्याय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. का० कृष्णा कुशवाहा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर